छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 441/2006</u>

- श्री मुकेश सिंह चौहान,
  बैरागीपारा, छुईखदान
  जिला– राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
   प्राचार्य,
   शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव,
   जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

2. डॉ संतोष सिंह,
   विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी साहित्य)
   शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव,
   जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

3. श्री रंजीत सिंह भूआर्य,
   प्रयोगशाला परिचारक,
   शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव,
   जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::

(दिनांक 21 दिसम्बर 2006)

श्री मुकेश सिंह चौहान के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मुकेश सिंह ने सूचना अधिकारी, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव को सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 18–7–2006 को प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा अंग्रेजी साहित्य एम.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट वर्क फाइल जमा की थी तथा प्रोजेक्ट वर्क जमा करने की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर भी किया था, उसके पश्चात् उक्त हस्ताक्षर पंजी की सत्यापित छायाप्रति मांगी गई। दिनांक 4–8–2006 को आवेदक को प्राचार्य के द्वारा सूचित किया गया कि एम.ए.अंतिम अंग्रेजी के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट फाइल जमा करने के समय किसी पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। अतः अपीलार्थी को उसकी प्रति दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के साथ एक अन्य परीक्षार्थी शिवेन्द्र त्रिपाठी का पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा एक रजिस्टर पर प्रोजेक्ट वर्क फाइल जमा कराते समय हस्ताक्षर किये जाने का उल्लेख किया गया। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। जन सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बतलाया कि प्रोजेक्ट वर्क फाइल जमा करते समय कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया था और न ही प्रोजेक्ट वर्क फाइल जमा करते समय संबंधित परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर लिये गये थे। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसने प्रोजेक्ट वर्क फाइल प्रस्तुत की थी, किन्तु विश्वविद्यालय के

अंकसूची में उसे अनुपस्थित बतलाया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह विश्वविद्यालय को यह सिद्ध करना चाहता है कि उसके द्वारा प्रोजेक्ट वर्क फाइल प्रस्तुत की गई थी। जन सूचना अधिकारी, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी ने प्रोजेक्ट वर्क फाइल प्रस्तुत की थी, किंतु एक प्रति में प्रस्तुत होने के कारण विश्वविद्यालय ने उसे स्वीकार नहीं किया था। प्रकरण में दोनों पक्षों के तर्क सुनते समय मेरे द्वारा जन सूचना अधिकारी–प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव को छात्र के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए मौखिक रूप से यह निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित कर अपीलार्थी की प्रोजेक्ट वर्क फाइल का मूल्यांकन करा लिया जावे। प्राचार्य के द्वारा पत्र क्रमांक 1494/06 दिनांक 19–12–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि आयोग के निर्देशानुसार अनुरोध किये जाने पर छात्र का प्रोजेक्ट वर्क फाइल मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा उसका मूल्यांकन भी बाह्य परीक्षक से करवा लिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी है तथा अपीलार्थी ने जिस उद्देश्य के लिए तथाकथित रजिस्टर की प्रतिलिपि मांगी थी, वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है।

3/ चूँकि अपीलार्थी का प्रोजेक्ट वर्क फाइल का मूल्यांकन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा चुका है तथा उसका विधिवत् नियमानुसार अपीलार्थी को अंकसूची के साथ सूचित कर दिये जावेंगे। अतः अब इस प्रकरण में किसी प्रकार के अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं रही। यह भी स्पष्ट है कि चूंकि रजिस्टर नहीं बनाया गया था, अतः उसकी प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है, फिर भी प्राचार्य के द्वारा विश्वविद्यालय से संपर्क कर छात्र के हित में कार्य किया गया है। अतः यह सिद्ध नहीं होता कि प्रतिअपीलार्थीगण के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश अभिलेख देने से अस्वीकार किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील का उपरोक्तानुसार निराकरण हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त